छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-02

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015

(अग्रहायण 26, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 15 (कुल 15) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 57 तारांकित एवं 71 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. वक्तव्य

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अल्प वर्षा के कारण सूखे की स्थिति निर्मित होने के संबंध में वक्तव्य दिया।

3. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी 37 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु 3.00 बजे का समय निर्धारित किया गया।

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

1. श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015),
2. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015), तथा
3. श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) **पटल पर रखे।**

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014,
2. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (1 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2014),
3. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के पद (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-2014,
4. श्री अजय चन्द्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2014-2015 (1 जुलाई, 2014 से 30 जून, 2015 तक),

5. श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015,
6. श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-2014, तथा
7. श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 **पटल पर रखे।**

6. जुलाई, 2015 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जुलाई, 2015 के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गयी।

7. जुलाई, 2015 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जुलाई, 2015 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2015 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2015 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

9.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री देवजी भाई पटेल
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री संतोष बाफना
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री धनेन्द्र साहू

10. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा तृतीय विधान सभा के जुलाई, 2012 सत्र में पारित 19 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक, फरवरी-मार्च, 2013 सत्र में पारित 15 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक एवं चतुर्थ विधान सभा के मार्च, 2015 सत्र में पारित 19 विधेयकों में से शेष बचे 2 विधेयकों में से एक विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा जुलाई, 2015 सत्र में पारित सभी 6 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

11. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

नाम निर्दिष्ट सदस्य श्री बर्नाड जे. रोड्रिग्स द्वारा दिसम्बर, 2015 सत्र में दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 से 23 दिसम्बर, 2015 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

12. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय, विधायी एवं अन्य कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

वित्तीय कार्य		**समय**
वर्ष 2015-2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	-	03 घंटे

शासकीय विधि विषयक कार्य

1.	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015	-	15 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2015	-	15 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील (संशोधन) विधेयक, 2015	-	15 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2015	-	15 मिनट
5.	छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015	-	15 मिनट
6.	छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015	-	15 मिनट
7.	छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015	-	15 मिनट
8.	छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेंशनल थेरेपी परिषद् विधेयक, 2015	-	1 घंटा
9.	भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015	-	15 मिनट
10.	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015	-	15 मिनट
11.	छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण(संशोधन) विधेयक, 2015	-	15 मिनट
	पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक		
	छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2015	-	15 मिनट

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

13. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने रायपुर शहर में अव्यवस्था व्याप्त होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री भूपेश बघेल, बृहस्पत सिंह, लखेश्वर बघेल, सदस्य ने प्रदेश में आऊटसोर्सिंग के माध्यम से नर्सों की भर्ती किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 12 का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

14. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 02 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

15. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267 क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री देवजी पटेल
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री बृहस्पत सिंह
(4) श्री दलेश्वर साहू
(5) डॉ. विमल चोपड़ा

16. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. खिलावन साहू
(2) श्री मोहन मरकाम
(3) श्री केशव चन्द्रा

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 26 सन् 2015)

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 26 सन् 2015) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ खनिज विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 27 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 27 सन् 2015) पुर:स्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 28 सन् 2015)

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 28 सन् 2015) पुर:स्थापित किया ।

(4) छत्तीसगढ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 29 सन् 2015)

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 29 सन् 2015) पुर:स्थापित किया ।

(5) छत्तीसगढ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 30 सन् 2015)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 30 सन् 2015) पुर:स्थापित किया ।

(6) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 31 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 31 सन् 2015) पुर:स्थापित किया ।

(7) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 32 सन् 2015)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 32 सन् 2015) पुर:स्थापित किया ।

(8) छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् विधेयक, 2015 (क्रमांक 33 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् विधेयक, 2015 (क्रमांक 33 सन् 2015) पुर:स्थापित किया ।

(9) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 34 सन् 2015)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 34 सन् 2015) पुर:स्थापित किया ।

(10) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 35 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 35 सन् 2015) पुर:स्थापित किया ।

(11) छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015) पुर:स्थापित किया ।

(1.49 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

18. स्थगन प्रस्ताव

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि नियम 58 (1) के अंतर्गत जिस समय से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो, उससे दो घंटे बीत जाने पर यदि वाद-विवाद पहले ही समाप्त न हो चुका हो, तो वह आप ही समाप्त हो जायेगा और तत्पश्चात् कोई प्रश्न न रखा जा सकेगा।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धनेन्द्र साहू,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), भोलाराम साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल-कृषि मंत्री, दलेश्वर साहू, मोहन मरकाम, अमरजीत भगत, केशव चन्द्रा, (डॉ) विमल चोपड़ा, अमित अजीत जोगी,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

19. बहिर्गमन

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

20. स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 6.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण, 30 शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा